

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

फांंक 546 / ग/03030/पंजीकरण "सी" श्रेणी/18-19

दिनांक 30-6-18

पंजीकरण सं० 04/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्रीमती शीलादेवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, पता- ग्राम हुल्का ऊँचडीह बाजार, धाना व तहसील मेजा, जिला- इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेंदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.06.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेंदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं विद्यमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- टेकेंदार को पंजीकरण/पंजीकरण कराने के उपरान्त
अन्य विभागों के नियमों के अन्तर्गत अभियंता के पंजीकरण कराने
एवं सहायकता प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद
30/6/18

फांंक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिशाही अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिशाही अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को बड़ीदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा विकास भवन, इलाहाबाद द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 सं०-007673 दिनांक 21.06.2018 जमा धनराशि सं० 1,00,000.00 जो अपीडस्ताशरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेक कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्रीमती शीलादेवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, पता- ग्राम हुल्का ऊँचडीह बाजार, धाना व तहसील मेजा, जिला- इलाहाबाद द्वारा अधिशाही अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद
30/6/18

श्रीमती शीलादेवी पत्नी श्री कृष्ण कुमार शुक्ला